डेटा प्रॉसेसिंग पर जानकारी के

सेंट्रल प्रोसीडिंग्स फाइल

जेनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेगुलेशन (DSGVO) के अनुच्छेद 13 तथा 14 के अनुरूप

कंट्रोलर के नाम तथा संपर्क विवरण:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (इमिग्रेशन व असाइलम का फेडरल ऑफिस)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
फोन: +43- 59 133 98 7004
फैक्स: +43- 59 133 98 7399
फैक्स: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

डेटा प्रॉटेक्शन ऑफिसर के संपर्क विवरण:

फोन: +43- 59 133 98 - 0
ईमेल: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

प्रॉसेसिंग का उद्देश्य जिसके लिए निजी डेटा लक्षित होते हैं:

इमिग्रेशन तथा असाइलम के फेडरल ऑफिस द्वारा निर्धारित कार्यवाहियों (कार्यवाहियों के डेटा) की स्थिति से संबंधित सूचना की प्रॉसेसिंग, जो ख़ासकर आवेदनों, निर्णयों, कानूनी उपचारों, प्रत्यर्पणों तथा स्वैच्छिक वापसी से जुड़े हों

प्रॉसेसिंग के लिए कानूनी आधार:

संघीय कानून के अनुच्छेद 28, 29, 33 और 58 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए योग्यता प्रदान करने के लिए आप्रवासन और असाइलम के फेडरल कार्यालय के समक्ष कार्यवाही से संबंधित सामान्य शर्तों को विनियमित करते हुए असाधारण परिस्थितियों, निर्वासन, हटाने की स्थगन, साथ ही निवास परमिट आवास को समाप्त करने और एलियंस के लिए ऑस्ट्रियाई दस्तावेजों के मुद्दे को समाप्त करने के कार्यों के आदेश के रूप में (BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट, BFA-VG)

वह अवधि जिसके लिए निजी डेटा को भंडारित किया जाएगा:

BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट के अनुरूप कैप्चर डेटा को जल्द से जल्द वास्तविक रूप से मिटा दिया जाना चाहिए
1. जब व्यक्ति को ऑस्ट्रियाई नागरिकता प्रदान कर दी गई हो, ज्योंही डेटा की आवश्यकता उन्हें एक परदेशी के रूप में जारी किसी दस्तावेज को निकालने के लिए खत्म हो जाती हो;

2. जब आप्रवासन तथा असाइलम के फेडरल कार्यालय या फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी दे दी गई हो और तब से लेकर आज तक पांच वर्ष बीत चुके हों, या
3. आप्रवासन तथा असाइलम के फेडरल कार्यालय या फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को कार्यवाहियों के अंतिम फैसले की सूचना देने के दस वर्ष बाद, या किसी आवेदन के वापस लिए जाने, कार्यवाहियों से जुड़े आवेदन के बंद हो जाने के बाद या जब आवेदन विषय-वस्तु से रहित हो गया हो। यह तब लागू नहीं होता जब व्यक्ति के प्रवेश या निवास के ऊपर स्थाई प्रतिबंध लगाया गया हो। यदि निवास को समाप्त करने वाली अस्थाई कार्यवाही की वैधता पहले फैसले में वर्णित बिंदु के बाद समाप्त हो जाता हो, तो वैधता के ऐसे समापन पर डेटा को डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

निजी डेटा के प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियां:

सुरक्षा एजेंसिया; अभियोजन प्राधिकार; सिविल तथा क्रिमिनल कोर्ट्स तथा कारा; फेडरल प्रोविंसेज के प्रशासनिक अदालतें; ऑस्ट्रिया में रिफ्यूजीज के लिए यूएन हाई कमिशनर का कार्यालय; राष्ट्र के राष्ट्र प्राधिकरणों को क्रमशः राष्ट्र को निर्धारित करने के लिए एक समझौते से जुड़ा संविदात्मक दल, जो डबलिन विनियमन को लागू करता है जो एक असाइलम आवेदन या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन की जांच करने के लिए सक्षम है/हैं; शरणार्थियों से जुड़े जेनेवा सम्मेलन के लिए जिम्मेदार विदेशी प्राधिकार, जब पहचान निर्धारण और साथ ही असाइलम की मंजूरी बगैर ऐसे प्राधिकारों को हस्तांतरण के संभव न हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे डेटा उस देश के प्राधिकारों के लिए सुगम्य नहीं होंगे,जहां असाइलम के लिए इच्छुक या शरणार्थी उत्पीड़न होने का दावा करते हों; ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधि प्राधिकार; टेम्परारी एंड पर्मानेंट ऐलिएंस रेसिडेंस ऐक्ट में वर्णित प्राधिकार; नागरिकता प्राधिकार; सिविल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट; फॉरेन लेबर ऐक्ट के कार्यान्वयन के साथ नियुक्त प्राधिकार; वित्तीय अपराध प्राधिकार; युवा कल्याण प्राधिकार; लीगल ऐडवाइजर (BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट का अनुच्छेद 49 से 52); रिटर्न काउंसलर्स; कर प्राधिकार, BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट के अनुच्छेद 12a के अनुरूप दुभाषिया सेवाएं प्रदान करने वाले दुभाषिए; फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर; बेसिक केयर एंड सर्विसेज अग्रीमेंट के अनुरूप कार्य पूरा करने वाले फेडरल तथा प्रोविंसियल निकाय; पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑस्ट्रिया (AMS) तथा स्थानीय प्राधिकार जिसे केयर प्रावधान तथा इंटीग्रेशन सहायता की जिम्मेदारी सौंपी गई होती है; क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थान तथा फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोशल इंश्योरेंस इंस्टिट्यूशंस; फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप, इंटीग्रेशन एंड फॉरेन अफेयर्स; ऑस्ट्रियन इंटीग्रेशन फंड; सामाजिक या अन्य हस्तांतरण लाभों की मंजूरी देने के लिए योग्य कार्यालय; निवास पंजीकरण प्राधिकार; ऑम्बुड्समैन बोर्ड (Volksanwaltschaft); स्टैटिस्टिक्स ऑस्ट्रिया; मूल देश के प्राधिकार; फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर के माध्यम से ईयू सदस्य देशों में अन्य निवास प्राधिकारों का राष्ट्रीय संपर्क स्थल; फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट; सुरक्षा या क्रिमिनल पुलिस, पासपोर्ट सिस्टम, एलिएंस पुलिस तथा सीमा नियंत्रण के उद्देश्य से अन्य ईयू सदस्य देशों की सुरक्षा एजेंसियां; सुरक्षा या क्रिमिनल पुलिस, पासपोर्ट सिस्टम, एलिएंस पुलिस तथा सीमा नियंत्रण के उद्देश्य से यूरोपीयन यूनियन एजेंसी फॉर लॉन एंफोर्समेंट कोऑपरेशन (यूरोपोल); सुरक्षा या क्रिमिनल पुलिस (डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट के अनुच्छेद 58 तथा 59 में वर्णित पूर्व आवश्यकताओं के अधीन) तथा पासपोर्ट सिस्टम, एलिएंस पुलिस तथा सीमा नियंत्रण, जो DSGVO के अध्याय V के विनियमों में वर्णित हों, के उद्देश्य के लिए तीसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियां; सुरक्षा या क्रिमिनल पुलिस (डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट के अनुच्छेद 58 तथा 59 में वर्णित पूर्व आवश्यकताओं के अधीन) के उद्देश्य से इंटरपोल- इंटरनैशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गैनाइजेशन का जेरनल सेक्रेटेरियट तथा पासपोर्ट सिस्टम, एलिएंस पुलिस तथा सीमा नियंत्रण, जो DSGVO के अध्याय V के विनियमों में वर्णित हों; ई-गवर्नमेंट ऐक्ट में निर्धारित योग्यताओं के भीतर सोर्सपिन रजिस्टर ऑथोरिटी।

प्रॉसेसर्स: फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर; IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.; Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH; Atos IT Solutions and Services GmbH

डेटा केअकिारथ्र इनकेअरथीन होते हैं:

ऑस्टिरथ्यन डेटा परथ्टेकथ्शन ऑथोरिटी (1030 Wien, Barichgasse 40−42, फोन +43 1 52 152-0, email dsb@dsb.gv.at) में डेटा परथ्टेकथ्शन ऐकथ्ट (DSG) केपैरागरथफ 1, अनुचथ्छेद 24 के अनुरूप शिकायत दर्ज करने का अकिारथ्र लागू होता है।

ऐक्सेस करने का अधिकार DSGVO केअनुच्छेद 15 में वर्णित है।

सुधारने का अधिकार DSGVO केअनुच्छेद 16 में वर्णित है।

मिटाने ('भुला दिए जाने का अधिकार') का अधिकार DSGVO केअनुच्छेद 17 में वर्णित है।

डेटा प्रॉसेसिंग केप्रतिबंध का अधिकार DSGVO केअनुच्छेद 18 में वर्णित है।

आपत्ति करने का अधिकार लागू नहीं है।